

महेशचन्द्र / सुभिता - 12/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27-6-24 20/7/24	<p>पत्रावली पेश। वकली अपीलॉट एवं अपीलॉट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलॉट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलॉट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल टफटर हो।</p> <p>सुभबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झन्डान)</p>	<p>20/7/24</p> 